न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

नम्बर 196/2014 दायर दिनांक–08–09–2014

1. सुगनचन्द पुत्र रामकुमार जाति बारी निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

– वादी

बनाम

1. रणवीर पुत्र रूड़मल
2. ताराचन्द पुत्र इन्द्राज जाति जाटान निवासीगण धायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री चंद्रकांत शर्मा

वकील प्रति. नं. :– एकपक्षीय

दावा बेदखली व दिलवाये जाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा

अ.धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 02.02.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित भूमि नये खाता संख्या 230 में खसरा नम्बर 877 रकबा 0.30 है0 में से 0.08 है0 व खाता संख्या नये 52 में खसरा नम्बर 219 रकबा 0.63 है0 का सम्पूर्ण हिस्सा व खसरा नम्बर 218 रकबा 0.61 है0 में से 0.08 है0 का वादी खातेदार काश्तकार है, भूमि पैत्रिक है उक्त भूमि में से अन्य किसी दीगर का कोई संबंध नही है। वाद संख्या 190 /2008 उनवानी दावा सुगनचन्द बनाम गजानन्द वगैरा दावा घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वादी द्वारा विधिवत विभाजन का मूल खातेदार जो वादी ने प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 2 के खिलाफ पेश किया था उक्त वाद वादी के पक्ष में दिनांक 05.05.2010 को प्राथमिक डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा जारी की गई, बाद कुरेजात अन्तिम डिक्री दिनांक 11.06.2012 को विधिवत विभाजन किया जाकर जरिये नामान्तकरण संख्या 1556 डिक्री द्वारा अंकन किया जाकर नये खाता संख्या 230 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 0.30 है0 में से 0.08 है0 व खाता संख्या नये 52 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 0.63 है0 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 218 रकबा 0.61 है0 में से 0.08 हैक्टर का अलग से खाता कायम कर दिया तब से वादी तन्हा अकेला खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया था, जिसमें खसरा नम्बर 877 जो रास्ते से सटकर है, उसमें 0.08 है0 वादी द्वारा दर्शीत किया गया था. जिसका उल्लेख प्राथमिक डिक्री मे भी है, वही जमीन वही हिस्सा विधिवत विभाजन में वादी को प्राप्त हुआ है। खाता संख्या 52 नये के संबंध में कोई विवाद नही है। विवाद मात्र नये खाता संख्या 230 में स्थित खसरा नम्बर 877 रकबा 0.08 है0 का ही है जिसे आगे वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 उक्त वाद संख्या 190/2008 उनवानी सुगनचन्द बनाम गजानन्द वगैरह में पक्षकार नही थे, वाद के लम्बित के दौरान ही प्रतिवादीगण 1 व 2 ने क्रय की है। वादी की विधिवत विभाजन से आई भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 0.08 है0 जो रास्ते के पास लगती है, उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादी की गरीबी हालत व कमजोरी का बैंजा फायदा लाठी के बल पर बल[illegible] अतिक्रमण कर दिनांक [illegible].06.2014 को कब्जा कर लिया जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 का कोई संबंध [illegible] द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि दिनांक 15.08.2013 को सीमेंटेड ई[illegible] करीब 2000 चिड़ा[illegible] मंगवा[illegible] डलवाई थी व दिनांक 3.05.2014 को 3000 ईटे मंगवाकर डलवाई थी। उक्त [illegible] को ही प्रतिवादीगण नं0 [illegible] 2 ने काम में लेकर छप्पर बना लिया। जबरदस्ती नाजायज रूप से वादी [illegible] खातेदारी भूमि पर अति[illegible] कर बैठा है जबकि वादी की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने का प्रतिवादीगण नं0 1 लगा0 2 को कोई अधिकार [illegible] अनाधिकृत अतिक्रमण से वादी को अपने वैध अधिकारों के वि[illegible] नाजायज कृत्य करने से सख्त ह[illegible] हो रही है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के खिलाफ उक्त वाद बेदखली व दिलाये जाने वापस कब्जा का पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है, अपूर्णीय क्षति भी वादी को हो रही है इसलिये प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जजावे कि वादी की विवादग्रस्त भूमि पर स्थाई–अस्थाई निर्माण न तो स्वंय करें ना ही अपने नौकर चाकर व अन्य किसी से ऐसा करवाये। मौके पर स्थित भूमि की यथास्थिति बनाये रखें।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:49 IST
Reason: SelfAttested

लदार को पक्षकार इसलिए बनाया है कि प्रतिवादीगण को अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाकर वादी को कब्जा ाये जाने की इस्तदुआ चाही है। फरीकेन अदालत हाजा क्षैत्र के स्थाई निवासी है तथा वादग्रस्त भूमि अदालत क्षैत्र में अवस्थित होने से अदालत हाजा को सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है।

वादी द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद वादी बहक खिलाफ प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 इस उमर बेदखलाई व कब्जा दिलवाने की फरमाई जावे कि वाके ग्राम कारी की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 0.08 हैक्टर का वादी खातेदार काश्तकार है जिस पर अनाधिकृत प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है नको बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में स्थाई, अस्थाई व कच्चा–पक्का निर्माण न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करवायें। न ही राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करें। अन्य सिद्वि जो वादी के हक में पड़ती हो, वादी द्वारा चाही जाने से रह गई हो वह भी दिलाई जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 बावजूद तामिल के इनकी ओर से कोई हाजिर अदालत नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नही किये गए। प्रकरण में शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी सुगनचन्द पुत्र रामकुमार जाति बारी निवासी ग्राम कारी उपस्थित न्यायालय होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये तथा वादीा द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल पूर्व निर्णित वाद पत्र , प्रदर्श–2 नकल नजरी नक्शा, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 नकल प्राथमिक निर्णय दावा सुगनचन्द बनाम गजानन्द , प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी सम्वत 2068–2071, प्रदर्श–7 नकल अंतिम निर्णय वाद सुगनचन्द बनाम गजानन्द, प्रदर्श–8 नकल रिपोर्ट सीमाज्ञान आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

शहादत पेश होने के पश्चात बहस वकील एक पक्षीय वकील वादी सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 230 में खसरा नम्बर 877 रकबा 0.08 हैक्टर का वादी खातेदार काश्तकार है, भूमि पैत्रिक है जो कि प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से प्रमाणित होता है। अतः ग्राम कारी की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 877 रकबा 0.08 हैक्टर का वादी खातेदार काश्तकार है जिस पर अनाधिकृत प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ प्रतीत होता है जिनको बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में स्थाई, अस्थाई व कच्चा–पक्का निर्माण न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करवायें न ही राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करें। अतः वाद वादियागण प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादियागण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है। अतः विवादग्रस्त भूमि ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित भूमि नये खाता संख्या 230 में खसरा नम्बर 877 रकबा 0.08 हैक्टर का वादी खातेदार काश्तकार है है जिस पर अनाधिकृत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है अतः तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जाये। शेष भूमि जमाबंदी अनुसार यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बेदखली व दिलवाये जाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद डिक्री

मुकदमा सं0:– **196 / 2014** **(सुगनचन्द बनाम रणवीर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 02.02.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में स्थित भूमि नये खाता संख्या 230 में खसरा नम्बर 877 रकबा 0.30 है0 में से 0.08 है0 का वादी खातेदार काश्तकार है है जिस पर अनाधिकृत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है अतः तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जाये। शेष भूमि जमाबंदी अनुसार यथावत रहेगी। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.02.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:37:49 IST
Reason: SelfAttested